

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17006/2024

जगमोहन पुत्र स्वर्गीय श्री मनोहारी, आयु लगभग 67 वर्ष, निवासी 19-20 शिव शक्ति नगर, इस्कॉन रोड, पृथ्वी राज नगर, जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

- भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से, निर्वाचन विभाग, सचिवालय, जयपुर
- रिटनिंग अधिकारी (एसडीएम), दौसा विधान सभा सीट, कलेक्ट्रेट, दौसा।
- श्री दीन दयाल पुत्र श्री किशनलाल, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी गैडोलाई की घानी, जीरौटा खुर्द, दौसा।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	डॉ. टी. एन. शर्मा श्री पूनम चंद भंडारी श्री आई. जे. कथूरिया श्री विष्णु दत्त भारद्वाज
--------------------	---	--

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार ढांड

आदेश05/11/2024

रिपोर्ट करने योग्य

- वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा रिटनिंग अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 28.10.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के नामांकन पत्र के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अस्वीकृत कर दिया गया है और दौसा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा सदस्य (संक्षेप में, "विधायक") के चुनाव लड़ने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 के नामांकन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि नामांकन पत्र जमा करते समय, प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने नामांकन पत्र में गलत घोषणा की है और उसने गलत जानकारी के साथ गलत हलफनामा प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रतिवादी संख्या 3 के नामांकन को अस्वीकृत करने के लिए आपत्ति उठाई गई थी। उक्त आवेदन में, यह निवेदन किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 3 ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न प्रस्तुत नहीं किए हैं और उसके बैंक खातों का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 3 का ऐसा कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य** के मामले में (2018) 2 **SCR 892** में रिपोर्ट किए गए अनुसार भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 3 का ऐसा कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, "1951 का अधिनियम") की धारा 123(2) के तहत अनुचित प्रभाव की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अधिवक्ता का निवेदन है कि इन परिस्थितियों में, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत नामांकन को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था। अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई किसी भी आपत्ति पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तार्किक रूप से विचार नहीं किया गया और प्रतिवादी संख्या 3 के नामांकन को दिनांक 28.10.2024 के चुनौतीप्राप्त आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अतः, इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

3. बार में प्रस्तुत निवेदन सुने गए और उन पर विचार किया गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

4. इस याचिका में शामिल एकमात्र मुद्दा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति है। याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार, नामांकन पत्र जमा करते समय, प्रतिवादी संख्या 3 ने सही घोषणा नहीं की है और महत्वपूर्ण तथा सही जानकारी को छिपाया और दबाया है। अतः, प्रतिवादी संख्या 3 का ऐसा कार्य भ्रष्ट आचरण के उपयोग के समान है और वह दौसा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पात्र और योग्य नहीं है।

5. 1951 के अधिनियम की धारा 100 के अनुसार, नामांकन की अनुचित अस्वीकृति या स्वीकृति चुनाव को शून्य घोषित करने का एक आधार है। 1951 के अधिनियम की धारा 80 के अनुसार, किसी भी चुनाव पर चुनाव याचिका के माध्यम से ही प्रश्न उठाया जाएगा।
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एन.पी. पोन्नूस्वामी बनाम रिटर्निंग अधिकारी** के मामले में, जो **AIR 1952 SC 64** में रिपोर्ट किया गया है, यह माना है कि 'चुनाव' शब्द का उपयोग चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समाहित करने के लिए किया जाता है और यह केवल उसके अंतिम परिणाम तक सीमित नहीं है। नामांकन पत्र की अस्वीकृति या स्वीकृति भी इस शब्द में शामिल है। इस प्रकार, नामांकन की अनुचित अस्वीकृति या स्वीकृति चुनाव प्रक्रिया का एक निरंतर हिस्सा है, जिस पर 1951 के अधिनियम की धारा 80 और 100 के तहत चुनाव याचिका दायर करके प्रश्न उठाया जा सकता है।
7. 1951 के अधिनियम की धारा 80 और 100 निम्नानुसार पुनरुत्पादित की गई हैं:-

"80. चुनाव याचिकाएँ।—इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा किसी भी चुनाव पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

[80 ए. चुनाव याचिकाओं का परीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना।—(1) चुनाव याचिका का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय होगा।

(2) ऐसा क्षेत्राधिकार सामान्यतः उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया जाएगा और मुख्य न्यायाधीश, समय-समय पर, उस उद्देश्य के लिए एक या अधिक न्यायाधीशों को नियुक्त करेंगे:

बशर्ते कि जहाँ उच्च न्यायालय में केवल एक न्यायाधीश हो, वह उस न्यायालय में प्रस्तुत सभी चुनाव याचिकाओं का परीक्षण करेगा।

(3) उच्च न्यायालय अपने विवेक से, न्याय या सुविधा के हित में, उच्च न्यायालय के आसन के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर, पूर्णतः या आंशिक रूप से, चुनाव याचिका का परीक्षण कर सकता है।

100. चुनाव को शून्य घोषित करने के आधार—(1) उप-धारा (2)

के प्रावधानों के अधीन यदि [उच्च न्यायालय] की राय है—

(क) कि उसके चुनाव की तारीख को एक निर्वाचित उम्मीदवार संविधान या इस अधिनियम [या संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20)] के तहत सीट भरने के लिए योग्य नहीं था, या अयोग्य था; या

(ख) कि किसी निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; या

(ग) कि किसी नामांकन को अनुचित रूप से अस्वीकृत किया गया है; या

(घ) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक यह एक निर्वाचित उम्मीदवार से संबंधित है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है—

(i) किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति से, या

(ii) निर्वाचित उम्मीदवार के हितों में [उसके चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा] किए गए किसी भ्रष्ट आचरण से, या

(iii) किसी मत के अनुचित ग्रहण, अस्वीकृति या अस्वीकरण से या किसी ऐसे मत के ग्रहण से जो शून्य है, या

(iv) संविधान के प्रावधानों या इस अधिनियम के या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेशों के

किसी भी गैर-अनुपालन से, [उच्च न्यायालय] निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करेगा।]

[(2)] यदि [उच्च न्यायालय] की राय में, एक निर्वाचित उम्मीदवार अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा है, लेकिन [उच्च न्यायालय] संतुष्ट है—

(क) कि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया था, और ऐसा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण आदेशों के विपरीत, और उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की [सहमति के बिना] किया गया था;

(ख)*****

(ग) कि उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट ने चुनाव में भ्रष्ट आचरणों को रोकने के लिए सभी उचित उपाय किए; और

(घ) कि अन्य सभी मामलों में चुनाव उम्मीदवार या उसके किसी भी एजेंट की ओर से किसी भी भ्रष्ट आचरण से मुक्त था, तो [उच्च न्यायालय] यह निर्णय कर सकता है कि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य नहीं है।"

8. विधायिका ने नामांकन की "अनुचित स्वीकृति" और "अनुचित अस्वीकृति" को समान स्तर पर रखा है और ये 1951 के अधिनियम की धारा 100 के तहत चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए उपलब्ध आधार हैं। अतः, उपरोक्त दो प्रावधानों के सामान्य पठन से यह स्पष्ट है कि नामांकन पत्र की अस्वीकृति और स्वीकृति चुनाव को शून्य घोषित करने के आधारों में से एक है और इस संबंध में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मंडा जगन्नाथ बनाम के.एस. रत्नम और अन्य** के मामले में, जो (2004) 7 SCC 492 में रिपोर्ट किया गया है, यह माना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनाव विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक

उचित मंच प्रदान करता है और उक्त अधिनियम के तहत गठित मंच के अलावा कोई अन्य मंच विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम नहीं है। यह भी देखा गया है कि रिट क्षेत्राधिकार के अधीन केवल रिटर्निंग अधिकारी के वे कार्य आते हैं जिनका निर्धारित चुनावों के निर्बाध प्रवाह में हस्तक्षेप करने या चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रभाव होता है। यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि रिटर्निंग अधिकारी के कार्य का निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के निर्बाध प्रवाह पर प्रभाव पड़ेगा या यह चुनाव की प्रगति में बाधा डालेगा।

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के अनुसार, संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी चुनाव पर चुनाव याचिका दायर करने के अलावा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

11. **भारत निर्वाचन आयोग बनाम अशोक कुमार** के मामले में, जो 2000 (8) **SCC 216** में रिपोर्ट किया गया है, पैरा 29 से 32 में यह माना गया है:-

"29. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 को अनुच्छेद 329(ख) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, पूर्ववर्ती बाद वाले का एक उत्पाद है। धारा 100 का विस्तार, जो विधायी इरादे को स्पष्ट करता है, हमें अनुच्छेद 329(ख) के दायरे को निर्धारित करने में सहायता करेगा, हालांकि यह तथ्य बना रहता है कि कोई भी विधायी अधिनियम संविधान में निहित प्रावधान के संचालन को कम या अधिभावी नहीं कर सकता है। धारा 100 एकमात्र प्रावधान है जिसके दायरे में चुनाव की वैधता पर हमला विफल होना चाहिए ताकि चुनाव को रद्द करने और सफल उम्मीदवारों को चुनावों में उनकी जीत से वंचित करने के लिए एक उपलब्ध आधार बन सके। मोहिंदर सिंह गिल के मामले में संविधान पीठ (पैरा 33 देखें) हमें धारा 100 को व्यापक रूप से "उम्मीदवारों की शिकायतों की पूरी टोकरी को कवर करने" के रूप में पढ़ने के लिए कहती है। धारा 100 की उप-धारा (1) के खंड (घ) का उप-खंड (iv) एक "अवशिष्ट व्यापक खंड" है। जब भी संविधान के

प्रावधानों या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेशों के गैर-अनुपालन हुआ हो, यदि इसे धारा के किसी अन्य पूर्ववर्ती खंड या उप-खंड द्वारा विशेष रूप से कवर नहीं किया गया है, तो इसे उप-खंड (iv) द्वारा कवर किया जाएगा। चुनाव के परिणाम, जहाँ तक यह एक निर्वाचित उम्मीदवार से संबंधित है, को ऐसे किसी भी गैर-अनुपालन के लिए रद्द कर दिया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे गैर-अनुपालन से चुनाव के परिणाम पर भौतिक रूप से प्रभाव पड़ा हो, जहाँ तक एक निर्वाचित उम्मीदवार का संबंध है। जो निष्कर्ष अनिवार्य रूप से निकलते हैं वे हैं: चुनाव न्यायशास्त्र के क्षेत्र में, ऐसी चीजों को अनदेखा करें जो चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करती हैं, जब तक कि भौतिक प्रभाव के परीक्षण को संतुष्ट करने की आवश्यकता कानून द्वारा माफ नहीं की गई हो; भले ही कानून का उल्लंघन किया गया हो और ऐसा उल्लंघन निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम पर भौतिक प्रभाव के परीक्षण को संतुष्ट करता हो, फिर भी ऐसे विवाद के न्यायनिर्णयन को चुनाव कार्यवाही समाप्त होने तक स्थगित कर दें ताकि, बड़े सार्वजनिक हित में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या एकल निर्वाचन क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के कारण बिना किसी रुकावट या देरी के एक लोकतांत्रिक निकाय के गठन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और न्यायिक निर्धारण की मांग की जा सके।

30. अनुच्छेद 329(ख) का संविधान के अनुच्छेद 226 पर किस हद तक अधिभावी प्रभाव है? दोनों संविधान पीठों ने यह माना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 केवल एक उपाय प्रदान करता है; वह उपाय चुनाव समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की जाने वाली चुनाव याचिका के माध्यम से है और किसी भी मध्यवर्ती

चरण में कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 329 जिस गैर-बाधा खंड से शुरू होता है, वह अनुच्छेद 226 को बाहर कर देता है जहाँ विवाद चुनाव पर प्रश्न उठाने का रूप लेता है (मोहिंदर सिंह गिल के मामले के पैरा 25 देखें, उपरोक्त)। संविधान और अधिनियम के प्रावधान एक साथ पढ़ने पर नागरिक के न्यायालय से संपर्क करने के अधिकार को पूरी तरह से बाहर नहीं करते हैं ताकि न्यायिक मंच का आह्वान करके किए गए गलत का निवारण किया जा सके; फिर भी सबक यह है कि चुनाव अधिकार और उपाय सांविधिक हैं, तुच्छ बातों को अनदेखा करें भले ही अनियमितताएँ या अवैधताएँ हों, और जब विचाराधीन चुनाव कार्यवाही समाप्त हो जाए तो न्यायालयों के दरवाजे खटखटाएँ। चुनाव कार्यवाही के दौरान किए गए किसी भी कार्य पर दोतरफा हमला टालना चाहिए - एक कार्यवाही के दौरान और दूसरा उसके समापन पर, क्योंकि ऐसे दोतरफा हमले, यदि अनुमति दी जाती है, तो लोकतंत्र के कामकाज को अनावश्यक रूप से लंबा खींचेंगे या बाधित करेंगे।

31. संविधान के संस्थापकों ने अनुच्छेद 329(ख) के मुख्य भाग में 'किसी भी चुनाव पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा' शब्दों का जानबूझकर प्रयोग किया है और ये शब्द अनुच्छेद 329(ख) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए निर्णायक परीक्षण प्रदान करते हैं। यदि न्यायालय में प्रस्तुत याचिका 'किसी चुनाव पर प्रश्न उठाती है' तो अनुच्छेद 329(ख) का प्रतिबंध आकर्षित होता है। अन्यथा नहीं।

32. सुविधा के लिए अब हम अपने निष्कर्षों को आंशिक रूप से दोहराते हुए संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे जो दो संविधान पीठों ने पहले ही कहा है और फिर हमारे द्वारा ऊपर किए गए विश्लेषण के मद्देनजर उससे जो निकलता है उसे स्पष्ट करके जोड़ेंगे:

1) यदि किसी चुनाव पर (चुनाव शब्द को व्यापक रूप से व्याख्यायित किया गया है ताकि चुनाव की अधिसूचना की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक शुरू होने वाले सभी कदम और पूरी कार्यवाही शामिल हो) प्रश्न उठाया जाना है और ऐसा प्रश्न किसी भी तरीके से चुनाव कार्यवाही को बाधित, अवरुद्ध या लंबा खींचने का प्रभाव डाल सकता है, तो न्यायिक उपाय का आह्वान चुनाव में कार्यवाही पूरी होने के बाद तक स्थगित किया जाना चाहिए।

2) मांगा गया और दिया गया कोई भी निर्णय "किसी चुनाव पर प्रश्न उठाना" नहीं माना जाएगा यदि वह चुनाव की प्रगति में सहायक होता है और चुनाव के पूरा होने को सुगम बनाता है। चुनाव कार्यवाही को पूरा करने या आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया कोई भी कार्य चुनाव पर प्रश्न उठाना नहीं कहा जा सकता है।

3) उपरोक्त के अधीन, चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किए गए आदेश न्यायिक समीक्षा के लिए उन सुस्थापित मापदंडों पर खुले हैं जो सांविधिक निकायों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा को सक्षम बनाते हैं, जैसे कि दुर्भावनापूर्ण या मनमानी शक्ति का प्रयोग का मामला साबित होने पर या सांविधिक निकाय द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर।

4) चुनाव कार्यवाही की प्रगति को बाधित, अवरुद्ध या विलंबित किए बिना, न्यायिक हस्तक्षेप उपलब्ध है यदि न्यायालय की सहायता केवल चुनाव कार्यवाही की प्रगति को ठीक करने या सुचारू बनाने, उसमें बाधाओं को दूर करने, या साक्ष्य के एक महत्वपूर्ण टुकड़े को संरक्षित करने के लिए मांगी गई है यदि परिणाम घोषित होने और न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए मंच तैयार होने तक वही खो जाएगा या नष्ट हो जाएगा या अप्राप्य हो जाएगा।

5) न्यायालय को किसी भी चुनाव विवाद पर विचार करते समय बहुत सतर्क और सावधानी से कार्य करना चाहिए, भले ही वह अनुच्छेद 329(ख) के प्रतिबंध से प्रभावित न हो, लेकिन चुनाव कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान इसे लाया गया हो। न्यायालय को चुनाव कार्यवाही को धीमा करने, बाधित करने, लंबा खींचने या रोकने के किसी भी प्रयास के खिलाफ सावधानी बरतनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यायालय की उदारता का उपयोग करने का कोई प्रयास न हो, एक याचिका दायर करके जो बाहरी रूप से निर्दोष लगती है लेकिन अनिवार्य रूप से एक गुप्त या छिपा हुआ उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक छल या बहाना है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय अनिच्छा से कार्य करेगा और तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके हस्तक्षेप के लिए एक स्पष्ट और मजबूत मामला विवरण और सटीकता के साथ दलीलों को उठाकर और आवश्यक सामग्री द्वारा उसका समर्थन करके नहीं बनाया गया हो।

12. अतः, यह स्पष्ट है कि नामांकन की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति को चुनौती देने वाली रिट याचिका विचारणीय नहीं होगी, क्योंकि याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध उपाय 1951 के अधिनियम की धारा 80 और 100 के संदर्भ में चुनाव याचिका दायर करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह न्यायालय यह जांच करने की स्थिति में नहीं होगा कि प्रतिवादी संख्या 3 के नामांकन पत्र को स्वीकार करने के आधार कमजोर / निराधार हैं या वे ठोस / महत्वपूर्ण हैं या नहीं। तदनुसार, यह याचिका प्रारंभिक चरण में खारिज की जाती है।

13. स्थगन आवेदन और अन्य सभी आवेदन (यदि कोई हों) भी खारिज किए जाते हैं।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

आयुष शर्मा /304

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

